



## EAST COAST RAILWAY

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/  
Office of the Principal Chief Personnel Officer  
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017  
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No.244/2019  
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Selection

RBE No. 177/2019

Date: 05.11.2019

सेवा मे,  
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर  
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,  
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,  
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर  
महा सचिव/इकोर थ्र. कां., महा सचिव/इकोर थ्र. यू,  
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए


**Sub: Selection for promotion to Gr. B post of Sr. Public Prosecutor in Level 8 in Pay matrix.**

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड पत्र सं.- E(GP)2019/2/14 दिनांक 21.10.2019 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Railway Board's Lr. No.- E(GP)2019/2/14 dated 21.10.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

  
(M.Ganga Bhawani)  
Dy.Chief Personnel Officer(Gaz)  
For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र. अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(स्टाफ), वकाधि(मुख्या. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(विल).

RB-2700  
क्र.सं./Sl.No.....  
दिनांक/Date... 25/10/19  
Initial..... (2)

1651  
29/10/19

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)  
\*\*\*\*\*

P.P./G.M.  
A  
सचिव/Secretary  
Initial  
25/10  
दिनांक/Date  
21/10/19  
Cm of Sr. Secy  
3 CA-72  
3 CEO-SR  
CPA(\*)  
Jes  
29/10

RBE No.: 177/2019

New Delhi, dt: 21.10.2019

No. E(GP)2019/2/14

The General Managers,  
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Selection for promotion to Group 'B' post of Sr. Public Prosecutor in Level 8 in Pay matrix

Ref.: Board's letter no. 2012 E(GC)13-2(67) dated 12/06/2019.

\*\*\*\*\*

In compliance with the judgement dated 03.07.1997 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan in CWP No.465/1995 filed by Shri Sohan Singh & Anr. Vs. UOI & Anr. upheld by the Hon'ble Supreme Court vide its judgement dated 29.09.2011, Prosecution Cadre has been formed on the Railways by separating it from the Railway Protection Force in terms of instructions contained in Board's aforementioned letter. Accordingly, among other posts, 68 Group 'B' posts of Senior Public Prosecutors in Level 8 in Pay Matrix have been sanctioned in terms of these instructions.

2. In this context, It has been decided by the Board that at the time of initial constitution of Group 'B' posts of Sr. Public Prosecutors in Level 8 of Pay Matrix, these posts may be filled up on the basis of seniority cum suitability involving assessment of record of service of senior most Public Prosecutors in Level 7 of Pay Matrix who have completed a minimum of 2 years of non-fortuitous service in the grade. Thereafter, the posts of Sr. Public Prosecutors getting vacated may be filled up through the usual Selection procedure (including Objective type written examination, viva-voce and assessment of APARs) from amongst Public Prosecutors with 2 years of non-fortuitous service in Level 7 of Pay Matrix.

3. As has been mentioned in Board's aforementioned letter dated 12/06/2019, the seniority list of Group 'C' posts of Public Prosecutors will be maintained at Board's level in the Prosecution department to be set up in Board's office. The Selections for promotion to Group 'B' post of Sr. Public Prosecutors will, however, be conducted by the concerned Zonal Railways and thereafter the Panels and posting orders will also be issued by them.

4. Please acknowledge receipt.

M. Saluja  
21/10/19  
(Meenakshi Saluja)  
Dy. Director/E(GP)-III  
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(जीपी)2019/2/2014

आरबीई सं.: 177/2019  
नई दिल्ली, दिनांक २1.10.2019

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां।

विषय: पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में वरिष्ठ लोक अभियोजक के ग्रुप 'बी' पद पर पदोन्नति के लिए चयन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 12/06/2019 का पत्र सं. 2012/ई(जीसी)13-2(67)


\*\*\*\*\*

श्री सोहन सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य द्वारा दाखिल सीडब्ल्यूपी सं. 465/1995 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा दिनांक 03.07.1997 को पारित किए गए निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29.09.2011 के निर्णय के तहत सही ठहराया गया था, के अनुपालन में बोर्ड के ऊपर उल्लिखित पत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार अभियोजन संवर्ग को रेल सुरक्षा बल से अलग करते हुए रेलों पर अभियोजन संवर्ग का गठन किया गया है। तदनुसार, इन अनुदेशों के अनुसार अन्य पदों के साथ-साथ पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में वरिष्ठ लोक अभियोजक के 68 ग्रुप 'बी' पद स्वीकृत किए गए हैं।

2. इस संबंध में बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में वरिष्ठ लोक अभियोजक के ग्रुप 'बी' पद के आरंभिक गठन के समय इन पदों को वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर भरा जाए जिसमें पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में वरिष्ठतम लोक अभियोजक, जिसने इस ग्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, की सेवा के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना शामिल है। इसके पश्चात रिक्त हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक के पदों को पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले लोक अभियोजक में से सामान्य चयन प्रक्रिया (जिसमें वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा तथा एपीएआर का मूल्यांकन करना शामिल है) के माध्यम से भरा जाए।

3. जैसा कि बोर्ड के दिनांक 12/06/2019 के उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है, लोक अभियोजकों के ग्रुप 'सी' पदों की वरिष्ठता सूची बोर्ड कार्यालय में गठित किए जाने वाले अभियोजन विभाग में बोर्ड स्तर पर रखी जाएगी। बहरहाल, वरिष्ठ लोक अभियोजक के ग्रुप 'बी' पद पर पदोन्नति का चयन संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाएगा और उसके बाद इन्हीं रेलों द्वारा ही पैनल और तैनाती आदेश जारी किए जाएंगे।

4. कृपया पावती दें।



(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक ई(जीपी)-III

रेलवे बोर्ड